

अनुमति की शर्तें ।

- (i) जल शक्ति / शुद्धता के निर्माण की स्वीकृति अर्थात् निर्माण नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (आर्थिक, राजस्वीय, लक्षितता या अन्य) होने की स्थिति में निर्माण का कोई आसपास नहीं होगा तथा न ही निर्माण किसी स्वीकृति के लिए रजिस्ट्रार होगा ।
- (iii) नगर निर्माण कार्य आरम्भ करते ही आवेदक निर्माण को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नगरों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

फा.ल. खिड़की आर्कटेक्चर अभ्यासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 4120 दिनांक 24/01/2020

प्राप्ति 10 अंशों में पुंम पीटर एवं शुभलक्ष्मी मोनोवर्षिया

ने राजस्वान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (ए) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 11820/- जमा

जरिये रसीद संख्या 1028/535, 576

दिनांक 24/01/2020 को जमा करा दी है ।

P.No:- 241 93 छांसी कोलोनी  
छांसी कोलोनी

27/1/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

जी + /  
आवासीय

5/1/20  
637